

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (शहर)

(पीठासीन अधिकारी – अध्यक्ष एम.डी. बड़गैया

सदस्य निमिष परमार)

प्रकरण क्रमांक / 21 / 2026

संस्थित दिनांक 09.06.2026

श्री प्रभाकर मिश्रा,

....परिवादी

पता – सृष्टि विहार के सामने,

हीरापुर रोड, रायपुर (छ.ग.)

बी.पी.क्रमांक – 1004837719

मोबाईल नं. : 94079-83046

विरुद्ध

कार्यपालन अभियंता नगर संभाग (उत्तर),

....उत्तरवादी

छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

निर्णय

(दिनांक 23/06/2026 को घोषित)

परिवादी द्वारा अपने परिसर में किए जा रहे विद्युत के वास्तविक उपयोग की तुलना में उत्तरवादी द्वारा अत्यधिक राशि का देयक प्रेषित किए जाने से असंतुष्ट होकर एवं मीटर की जांच कर देयक में सुधार किए जाने के निवेदन के साथ प्रकरण प्रस्तुत किया गया है ।

2. मामले में उभयपक्षों के मध्य निम्नालिखित तथ्यों पर विवाद नहीं है –

क. सृष्टि विहार के सामने, हीरापुर रोड रायपुर स्थित परिवादी के परिसर में घरेलू उपयोग हेतु 4.0 किलोवाट भार का विद्युत कनेक्शन बी.पी.क्रमांक 1004837719 के माध्यम से उत्तरवादी द्वारा प्रदान किया गया है ।

ख. उत्तरवादी द्वारा परिवादी को माह अप्रैल 2026 एवं मई 2026 का देयक क्रमशः 1607 यूनिट एवं 1161 यूनिट का प्रेषित किया गया है ।

3. स्वीकृत तथ्यों के अलावा परिवाद/शिकायत संक्षेप में इस प्रकार है कि –

विगत कुछ महीनों से उत्तरवादी द्वारा सामान्य से अधिक खपत एवं तदनुसार अधिक राशि का देयक प्रेषित किया जा रहा है जिसका कि परिवादी द्वारा किए जा रहे विद्युत के वास्तविक उपयोग के अनुसार नहीं होना प्रतीत होता है ।



मीटर की जांच किए जाने एवं देयक में सुधार किए जाने की परिवादी की मांग पर भी उत्तरवादी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

4. प्रस्तुत शिकायत का जो उत्तर उत्तरवादी द्वारा पत्र क्रमांक 223 दिनांक 17.06.2026 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकृत तथ्यों के अलावा संक्षेप में इस प्रकार है कि -

परिवादी को माह मार्च 2026 का देयक परिसर बंद (door lock) के अनुसार प्रेषित किया गया था एवं माह अप्रैल 2026 में दो माह की एकमुश्त खपत 1607 यूनिट का देयक जारी किया गया । परिवादी की शिकायत के बाद माह अप्रैल 2026 की खपत को दो माह (मार्च एवं अप्रैल) की वास्तविक खपत के अनुसार बांटकर, स्लैब रिबेट देते हुए देयक सुधारा गया एवं परिवादी के देयक में राशि रु. 151.00 का क्रेडिट दिया गया । परिवादी को प्रेषित देयक मीटर में दर्ज वास्तविक खपत के अनुसार होने के कारण सही है एवं परिवादी द्वारा भुगतान योग्य है ।

5. मामले के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किये जाते हैं -

क. क्या उत्तरवादी द्वारा परिवादी को देयक उसके मीटर में दर्ज वास्तविक खपत के आधार पर प्रेषित किया गया है ।

ख. क्या परिवादी से अधिक राशि का देयक प्राप्त होने संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर उत्तरवादी द्वारा की गयी कार्यवाही नियमानुसार है ।

विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्रमांक क की विवेचना एवं निष्कर्ष -

6. परिवादी द्वारा फोरम के समक्ष कथन किया गया कि उत्तरवादी द्वारा प्रेषित देयक मीटर में दर्ज वास्तविक खपत पर आधारित नहीं है । उत्तरवादी द्वारा परिवादी के स्मार्ट मीटर में दर्ज प्रतिमाह की खपत को "मोर बिजली एप" में दिखाते हुए बताया गया कि परिवादी को प्रेषित देयक, उसके मीटर द्वारा प्रत्येक माह में दर्ज की गयी वास्तविक खपत यथा माह मार्च 2026 में 653 यूनिट, माह अप्रैल 2026 में 954 यूनिट एवं माह मई 2026 में 1161 यूनिट पर आधारित है । यद्यपि माह मार्च 2026 में door lock की स्थिति में प्रेषित शून्य खपत के देयक को बाद में उस माह की वास्तविक खपत 653 यूनिट के अनुसार संशोधित किया गया है एवं परिवादी के देयक में क्रेडिट दिया गया है । उक्त विचारणीय प्रश्न का



निष्कर्ष यह है कि परिवादी को प्रेषित देयक उसके मीटर में दर्ज वास्तविक खपत के अनुसार है एवं सही है ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक ख की विवेचना एवं निष्कर्ष -

7. परिवादी के अनुसार अधिक राशि का देयक प्रेषित किए जाने संबंधी शिकायत उत्तरवादी के समक्ष किए जाने के बाद भी उत्तरवादी द्वारा मीटर की जांच एवं देयक में सुधार की कार्यवाही नहीं की गयी । उत्तरवादी द्वारा बताया गया कि परिवादी की शिकायत प्राप्त होने के बाद दिनांक 15.06.2026 को परिवादी के परिसर का निरीक्षण किया गया जिसमें कुछ संबद्ध भार 1.5 टन के 04 नग ए.सी. सहित कुल 10721 वाट पाया गया । उत्तरवादी के अनुसार परिवादी के मीटर में दर्ज कुछ महीनों की अधिकतम मांग यथा मार्च 2026 में 3.7 कि.वा., अप्रैल 2026 में 6.0 कि.वा. एवं माह मई 2026 में 6.0 कि.वा. दर्ज रहने से भी परिवादी द्वारा किए जा रहे विद्युत के अधिक उपयोग का अंदाजा लगाया जा सकता है । पूर्व के वर्षों में भी परिवादी द्वारा माह अप्रैल, मई एवं जून के माहों में 800 से 1200 यूनिट तक विद्युत खपत प्रतिमाह की गयी है जिसकी तुलना में वर्तमान खपत असामान्य नहीं है । परिवादी को प्रेषित देयक उसके मीटर में दर्ज वास्तविक खपत के अनुसार होना पाया गया है । अतः विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष यह है कि उत्तरवादी द्वारा परिवादी के आवेदन पर की गई कार्यवाही नियमानुसार है ।

8. परिवादी द्वारा पूर्व अवधि में मीटर में दर्ज खपत का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि उसके मीटर द्वारा पूर्व में इतनी अधिक खपत कभी भी दर्ज नहीं की गयी है एवं वर्तमान में किए जा रहे उपयोग के अनुसार भी मीटर द्वारा इतनी अधिक खपत का दर्ज किया जाना असामान्य है । उक्त विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष यह है कि यद्यपि परिवादी को प्रेषित देयक उसके मीटर में दर्ज खपत के अनुसार होने के कारण सही है तथापि परिवादी यदि अपने परिसर में स्थापित मीटर की कार्यप्रणाली एवं उत्तरवादी द्वारा की गयी मीटर की जांच से संतुष्ट नहीं है तो सप्लाय कोड की कंडिका 8.21 यथा "A consumer may request the licensee to test the meter, if he still doubts its accuracy, by applying to the licensee along with the requisite testing fee." के अनुसार केंद्रीय मीटर परीक्षण प्रयोगशाला में मीटर की जांच किए जाने का आवेदन उत्तरवादी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।



9. . संपूर्ण विचारणीय प्रश्नों की विवेचना और उनके निष्कर्ष के उपरांत हम यह पाते हैं कि मीटर में दर्ज वास्तविक खपत के अनुसार देयक संशोधित किए जाने के बाद परिवादी के देयक में अन्य किसी प्रकार का सुधार किए जाने की आवश्यकता शेष नहीं है ।

10. उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष उपरांत मैं यह पाता हूं कि परिवादी अपना मामला साबित करने में असफल रहा है । अस्तु प्रस्तुत परिवाद खारिज कर निम्नांकित आदेश प्रदान किया जाता है -

परिवादी का देयक, उसके मीटर में दर्ज वास्तविक खपत के अनुसार होने के कारण सही एवं परिवादी द्वारा भुगतान योग्य है । फोरम, उत्तरवादी को निर्देशित करता है कि परिवादी द्वारा मीटर की जांच, सक्षम प्रयोगशाला में कराए जाने के संबंध में आवेदन एवं परीक्षण शुल्क जमा किए जाने की स्थिति में अविलंब मीटर की जांच समक्ष लैब में कराया जाना एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर सप्लाई कोड की कंडिका 8.22 के अनुसार कार्यवाही का किया जाना सुनिश्चित करें ।

11. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो वह इस आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी शांति नगर रायपुर (छ.ग.) में अपील कर सकता है ।

मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया ।

निर्णय घोषित किया गया

(निमिष परमार)
सदस्य



(एम.डी. बड़गैया)
अध्यक्ष